संख्याः 217/VIII/704–प्रशि0/2004

प्रेषक,

श्री दयाल सिंह नाथ,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून दिनांकः 23 फरवरी–2005

विषयः स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दिनेशपुर, रूद्रप्रयाग आदि हेतु मानक मद संख्या–26 मशीनें साजसज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि से साजसज्जा/उपकरण के क्रय हेतु धनराशि का आंबटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : डीटीईयू/0202/एनपीबी/2004/427 दिनांक 29,जनवरी–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्तीय वर्ष–2004–05 हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, काण्डा तथा दिनेशपुर के पुराने व्यवसायों एवं नए व्यवसायों जिनका विवरण निम्नवत् है, की आवश्यक साजसज्जा/उपकरणों के क्रय हेतु आपके प्रस्तावानुसार रूपये 53,00,000/– (रूपये तरेपन लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष–2004–05 के आयोजनागत पक्ष में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(हजार रूपये में)

क्र0सं0	संस्थान का नाम	व्यवसाय	साजसज्जा हेतु आवश्यक धनराशि	पुराने/नए व्यवसाय
1.	रा0आई0टी0आई0 हरिद्वार	ड्राइवर कम मैकेनिक	400	पुराने व्यवसाय
2.	रा0आई0टी0आई0 रूद्रप्रयाग	डाटा एंट्री आपरेटर ड्राइवर कम मैकेनिक फिटर	100 400 1200	पुराने व्यवसाय नये व्यवसाय
3.	रा0आई0टी0आई0 काण्डा	डाटा एंट्री आपरेटर	1000	पुराने व्यवसाय
4.	रा0आई0टी0आई0 दिनेशपुर	डाटा एंट्री आपरेटर ड्राइवर कम मैकेनिक	1000 1200	नये व्यवसाय
	योग :		5300	

2— उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है, कि एस0सी0पी0 के अन्तर्गत उक्त आई0टी0आई0 में भविष्य में मात्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे और सामान्य जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति इन नए व्यवसायों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे । चूँकि उक्त आई0टी0आई0 में धनराशि एस0सी0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही है, इसलिए समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के उक्त निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

3. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा । व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/ अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4— व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी, की दरों एवं शर्तो, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । उपकरणों आदि का कय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही कय कर स्थायी सम्बन्धन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा , जो पुराने उपकरण बदले जा रहे है, उन्हें भी तत्काल निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम कर अर्जित राशि राजकीय कोष में जमा करके शासन को सूचित किया जायेगा ।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय एवं व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31,मार्च-2005 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

6.— प्रश्नगत संस्थानों में आवश्यकतानुसार एवं मानक के अनुसार मशीनें/साजसज्जा की आपूर्ति कर एनसीवीटी भारत-सरकार से स्थायी मान्यता प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।

7— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु अनुदान संख्या-16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार 03-प्रशिक्षण-आयोजनागत ,003-दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 02-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 01- दिनेशपुर काण्डा, टनकपुर, रूद्रप्रयाग आदि आईटीआई आयोजनागत-00 के अन्तर्गत मानक मद संख्या-26-मशीनें साजसज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत किया जायेगा । यह आंबटन निदेशक के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : यूओ : 367 / वि0अनु0–3 / 2005 दिनांक 18, फरवरी–2005 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय

(दयाल सिंह नाथ)
अपरसचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 217(1)/ VIII / 704–प्रशि0 / 2004, तद्दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– सम्बन्धित् जनपद के कोषाधिकारी ।
3– वित्त अनुभाग–3
4– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त बजट, उत्तरांचल शासन ।
5– नियोजन–विभाग ।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय ।
7– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।